



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- 307 / 13-2 (1) दिनांक 20/7/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/37890/2018)

संदर्भ :- नोडल अधिकारी, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 02.07.2021 तथा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा का पत्रांक 1619/7सी दिनांक 13.07.2021

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/37890/2018 में पाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर प्रेषित की गई है -

S.N.	EDS	REPLY
1	There is difference in no.of affected trees and no. of "Banj"tree affected in CF recommendation and Part 11,4(ii) details fill at the end of DFO.Kindly clarify.	आरक्षित वन भूमि में कुल 638 वृक्ष प्रभावित होते हैं। जिसमें से 48 बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार नाप भूमि में कुल 53 वृक्ष प्रभावित होते हैं जिसमें से 26 वृक्ष बॉज प्रजाति के प्रभावित होते हैं।
2	Kindly upload the check list/fact sheet as additional information in part 1and make sure that all the relevant document has been uploaded as additional information as per the detail mentioned in the check list by mentioning their name in the remark column.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा चैक लिस्ट एवं फैक्ट शीट पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 50 एवं 51 में अपलोड कर दी गई है।
3	Kindly upload aerial certificate,NPV certificate and other relevant document as additional in Part 11..	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हवाई दूरी एवं एन0पी0वी0 को प्रमाण पत्र अतिरिक्त सूचनाओं पार्ट 11 में अपलोड कर दी गयी
4	Kindly fill only village wise detail in the village wise break up, no need to mention muck disposal in it as the same is mentioned in component wise break up.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्ट 1 के में ठीक अंकित कर दिया गया है।
5.	Kindly upload the clear copy of administrative and financial sanction letter by highlighting the concerned Proposal as the uploaded file is not clear.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रपत्र पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 48 में अपलोड कर दिया गया है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित किये गये पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक :- /उवदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

Lalit
20/7/2021



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 16/19/7सी0
सेवा में,

अल्मोड़ा दिनांक 13 जुलाई 2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

402
13-2(1)
20/7/2021

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/37890/2018

संदर्भ: आपका ई0डी0एस0 दिनांक 07.07.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

आपत्ति	निराकरण
1- There is difference in no. of affected tree and no. of 'Banj' tree affected in CF recommendation and Part II, 4 (ii) details fill at the end of DFO. Kindly clarify.	यह बिन्दु लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
2- Kindly upload the check list/fact sheet as additional information in Part I and Make sure that all the relevant document has been uploaded as additional information as per the detail mentioned in the check list by mentioning their name in the remark column.	चेक लिस्ट एव फाक्ट शीट पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 50 एवं 51 में अपलोड कर ली गयी है।
3- Kindly upload aerial distance certificate, NPV certificate and other relevant document as additional information in Part II	हवाई दूरी एव एनपीवी0 का प्रमाण पत्र पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 49 एवं 33 में अपलोड की गयी है कृपया तदनुसार पार्ट II में अपलोड करने की कृपा करें।
4- Kindly filled only village wise detail in the village wise break up, no need to mention muck disposal in it as the same is mentioned in component wise break up.	village wise detail पार्ट I के B.2.3 में ठीक अंकित कर लिया गया है।
5- Kindly upload the clear copy of administrative and financial sanction letter by highlighting the concerned Proposal as the uploaded file is not clear	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रपत्र पार्ट I के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 48 में अपलोड कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपन स्तर से अग्रततर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

13/7/21
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांक:- /7सी0

तददिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।